न्यायालय सहायक कलक्टर(SDO),मावली जिला उदयपुर (राज0)

पीठासीन अधिकारी : रमेश सीरवी पुनाड़िया, RAS

पत्रावली संख्या : 38/18 (प्रा0पत्र)

GCMS No. : 2018/00141

अनवान्

1. श्रीमती निर्मलाबाई पत्नी भेरूलाल डांगी निवासी नान्दवेल तह. मावली।
2. श्री सुरेश पिता भेरूलाल डांगी नाबालिग बविलायत माता निर्मलाबाई पत्नी भेरूलाल डांगी निवासी नान्दवेल तह. मावली।
3. श्री ललित पिता भेरूलाल डांगी नाबालिग बविलायत माता निर्मलाबाई पत्नी भेरूलाल डांगी निवासी नान्दवेल तह. मावली। .....प्रार्थीगण

बनाम

1. श्री भेरा उर्फ भेरूलाल पिता रूपा डांगी निवासी नान्दवेल तह. मावली।
2. उप पंजीयक महोदय, मावली तह. मावली।
3. पटवारी, पटवार हल्का नान्दवेल तह. मावली।
4. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार सा. मावली तह. मावली। .....विपक्षीगण

उपस्थित–1. श्री कल्याणसिंह चुण्डावत, अधिवक्ता प्रार्थीगण।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

–: : निर्णय : :–

दिनांक : 20.11.2020

1. प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत् प्रस्तुत किया जिसके संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि मौजा नान्दवेल पटवार हल्का नान्दवेल के परिशिष्ट अ में वर्णित आराजी नम्बर 747, 749, 765, 766, 771 किता 5 रकबा 2 बीघा 2 बिस्वा उक्त आराजीयात वर्तमान राजस्व रेकार्ड में विपक्षी सं. 1 के नाम पर संयुक्त खातेदारी हक से अंकित हैं। परिशिष्ट ब में वर्णित आराजी नम्बर 518, 519, 520, 738, 755 किता 5 रकबा 8 बीघा 14 बिस्वा उक्त आराजीयात वर्तमान राजस्व रेकार्ड में विपक्षी सं. 1 के नाम पर संयुक्त खातेदारी हक से अंकित हैं।
2. यह कि हम प्रार्थीगण एवं विपक्षी सं. 1 का सजरा खानदान निम्न प्रकार हैं :–

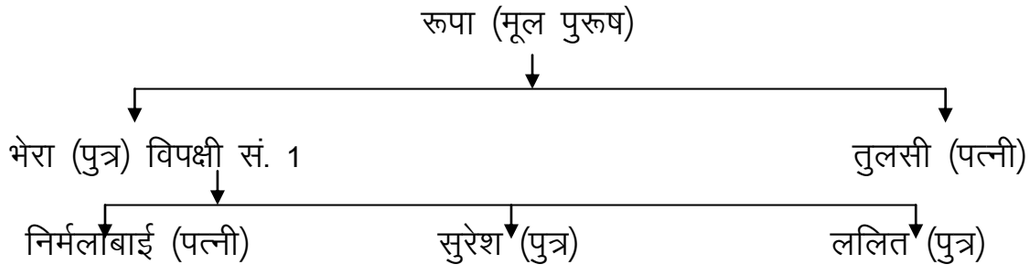

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2020.12.04 14:26:59 IST
Reason: SelfAttested

3. यह कि प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजीयात पूर्व में हमारे मौरूस रूपाजी के नाम पर राजस्व रेकार्ड में दर्ज थी जो रूपाजी के निधनोपरान्त विरासत से उनके पुत्र विपक्षी सं. 1 एवं उनकी पत्नी तुलसी के नाम दर्ज हुई। विपक्षी सं. 1 हम प्रार्थीगण के पिता/पति है और उक्त सम्पति हमारी पैतृक सम्पति हैं।
4. यह कि प्रार्थना पत्र में वर्णित भूमि पर हम प्रार्थीगण का हमारे हिस्सेनुसार कब्जा चला आ रहा है, जिसमें अन्य किसी व्यक्ति का कोई हक व अधिकार नहीं हैं। लेकिन वर्तमान में उक्त भूमि विपक्षी सं. 1 के नाम पर दर्ज है जिससे विपक्षी सं. 1 भूमाफिया को सिखावट में आकर अपने नाम अंकित सम्पूर्ण ीूमि को विक्रय कर खुर्द बुर्द करना चाह रहा है जबकि उक्त भूमि हमारे परिवार की आजीविका प्रमुख स्त्रोत है और इसी जमीन से प्राप्त होने वाली आय से हमारे परिवारजन का गुजरा होता आ रहा है तथा उक्त पैतृक सम्पति होने से भी विपक्षी सं. 1 को कानूनन अपने हिस्सा से अधिक भूमि को हस्तान्तरित कर खुर्द बुर्द करने का कोई विधिक अधिकार नहीं है इसलिए हम प्रार्थीगण प्रार्थना पत्र में वर्णित कृषि भूमि अपने हक हिस्से की भूमि की घोषणा करवा राजस्व रेकार्ड में हमारे नाम पर खातेदारी हक से दर्ज कराने के अधिकारी हैं।
5. यह कि हम प्रार्थीगण का प्राइमाफैसी केस है क्योंकि उक्त वर्णित कृषि भूमि पैतृक भूमि होने से इसमें खातेदारी अधिकार प्राप्त हो गये है लेकिन उक्त भूमि विपक्षी सं. 1 के नाम पर दर्ज होने से विपक्षी सं. 1 हम प्रार्थीगण को हमारे हक हिस्से की भूमि से वंचित करने की नियत अपने नाम दर्ज सम्पूर्ण भूमि को हस्तान्तरित कर खुर्द बुर्द करने पर उतारू हो रहा है जबकि विपक्षी सं. 1 को ऐसा करने का कोई अधिकार नहीं हैं। यह भूमि हमारी परिवार की आजीविका का मुख्य साधन है और इस भूमि से प्राप्त होने वाली आय से ही हमारे परिवारजन का भरण पोषण हो रहा है इसलिए हम प्रार्थीगण विपक्षी सं. 1 के विरूद्व अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करान के अधिकारी है।
6. अतः प्रार्थना है कि हम प्रार्थीगण के पक्ष में एवं विपक्षीगण के विरूद्व इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी फरमाई जावे कि विपक्षी सं. 1 प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजीयात में हमको हमारे हक हिस्से कब्जे की कृषि भूमि का शांतिपूर्वक उपयोग उपभोग करने देवे, हम प्रार्थीगण को बेदखल नहीं करे, कब्जा नहीं करे, विपक्षी सं. 1 अपने नाम दर्ज भूमि को रहन, बैह बक्षीस आदि द्वारा हस्तान्तरित नहीं करे, हमारे कब्जे काश्त में किसी प्रकार की दखलन्दाजी न स्वयं करे, न अपने नौकर चाकर एजेन्ट इत्यादि से ही करावे, राजस्व रेकार्ड एवं मौके की

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2020.12.04 14:26:59 IST
Reason: SelfAttested

यथावत् स्थिति बनाए रखे। विपक्षी सं. 2 से 4 को पाबंद किया जावे कि विपक्षी सं. 1 उक्त भूमि के सम्बन्ध में किसी प्रकार का दस्तावेज पंजीयन कराने हेतु प्रस्तुत करने तो ताफैसला मूल पार्थना पत्र विपक्षी सं. 2 पंजीयन नहीं करे व विपक्षी सं. 3, 4 राजस्व रेकार्ड की यथावत् स्थिति बनाये रखें।

7. प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर विपक्षीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। विपक्षी सं. 1 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने पर इनके विरूद्व एकतरफा कार्यवाही के आदेश पारित किये गये। विपक्षी सं. 2 से 4 राजपेरोकार द्वारा जवाब नहीं देना चाहा। अधिवक्ता प्रार्थीगण की एकतरफा बहस सुनी गई।
8. हमने अधिवक्ता प्रार्थीगण की बहस पर मनन किया। दस्तावेज का अध्ययन किया। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीगण द्वारा अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया तथा प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाने का निवेदन किया।
9. विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीगण की बहस पर मनन किया। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 212 अस्थाई निषेधाज्ञा के निर्णय के लिए तीनो बिन्दु पर विवेचन आवश्यक हैः—

1. *प्रथम दृष्टया मामला—* उक्त वर्णित आराजीयात पैतृक सम्पति होकर विपक्षी सं. 1 के नाम संयुक्त खातेदारी से राजस्व रेकार्ड में अंकित हैं। प्रार्थीगण द्वारा घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत किया उसी के साथ अस्थाई निषेधाज्ञा का यह प्रार्थना पत्र लगाया गया है। प्रार्थनाग्रस्त भूमि का विपक्षी सं. 1 खातेदार काश्तकार है। प्रार्थीगण उक्त भूमि के खातेदार काश्तकार नहीं हैं। विपक्षी सं. 1 प्रार्थीगण के पति/पिता हैं। प्रार्थीगण विपक्षी सं. 1 को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद कराना चाहते है, चूंकि विपक्षी सं. 1 खातेदार काश्तकार होने से प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीगण के पक्ष में साबित नहीं होता हैं। अतः प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीगण अपने पक्ष में साबित कराने में असफल रहा। अतः प्रथम दृष्टया मामला का बिन्दू प्रार्थीगण के विरूद्व निर्णित किया जाता हैं।
2. *अपूरणीय क्षति—* भूमि विपक्षी सं. 1 के नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज होकर खातेदार काश्तकार हैं। प्रार्थीगण खातेदार नहीं हैं। यदि विपक्षी सं. 1 के विरूद्व अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है तो विपक्षी सं. 1 को अपूरणीय क्षति होगी। प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीगण के विरूद्ध साबित होने से अपूरणीय क्षति का बिन्दू भी प्रार्थीगण के विरूद्ध निर्णित किया जाता हैं।

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2020.12.04 14:26:59 IST
Reason: SelfAttested

3. *सुविधा का संतुलन–* प्रथम दृष्टया मामला, अपूरणीय क्षति के बिन्दु प्रार्थीगण के विरूद्ध में निर्णित किया जाने से उक्त बिन्दु भी प्रार्थीगण के विरूद्ध में निर्णित किया जाता हैं।

10. हमने पत्रावली का अध्ययन किया। प्रार्थीगण द्वारा विपक्षी सं. 1 के विरूद्ध घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत किया उसी के साथ अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। प्रार्थनाग्रस्त भूमि राजस्व रेकार्ड में विपक्षी सं. 1 के नाम पर दर्ज है। विपक्षी सं. 1 भेरा प्रार्थीगण का पति/पिता हैं। विपक्षी सं. 1 खातेदार होने से खातेदार को अपनी भूमि के उपयोग उपभोग का पूरा अधिकार हैं। विपक्षी सं. 1 हिन्दू परिवार का कर्ता खानदान हैं। अतः HUF कर्ता खानदान होने से विपक्षी सं. 1 को अपने परिवार की जायज जरूरतो के लिए भूमि का उपयोग उपभोग करने व उसके निस्तारण करने का पूरा हक अधिकार हैं। ऐसी स्थिति में यदि विपक्षी सं. 1 खातेदार काश्तकार के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा पारित की जाती है तो उसके हक अधिकारों पर प्रतिकुल प्रभाव पडेगा, एवं उसे भारी असुविधा का सामना करना पडेगा। शेष अन्य बिन्दु मूल वाद में साक्ष्य सबूत आदि के आधार पर तय किये जायेगे। प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति के बिन्दु भी प्रार्थीगण के विरूद्ध निर्णित किये गये हैं। अतः ऐसी स्थिति में विपक्षी सं. 1 खातेदार के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किया जाना उचित नहीं हैं। उपरौक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार योग्य नहीं पाया जाता हैं।

–: आदेश :–

परिणामस्वरूप प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार योग्य नहीं होने से अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हों।

निर्णय खुले ईजलास लिखवाया जाकर सुनाया गया।

(रमेश सीरवी पुनाड़िया)
सहायक कलक्टर
(SDO)मावली

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2020.12.04 14:26:59 IST
Reason: SelfAttested